सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 6, मंगलवार, शाके 1938–अप्रेल 26, 2016
Vaishakha 6, Tuesday, Saka 1938-April 26, 2016

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 26, 2016

संख्या प. 2 (13) विधि/2/2016:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2016 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 11)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रेल, 2016 को प्राप्त हुई]

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित

किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) "केन्द्रीय सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियां हैं;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) "प्राथमिक सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी और जो प्रमुख रूप से सदस्यों के रूप में व्यष्टियों द्वारा गठित हो;"।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी सोसाइटी उसकी उपविधियों में ऐसा कोई संशोधन पारित नहीं करेगी, जो सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग, जिसके अधीन सोसाइटी मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी, की उपविधियों के अनुकूल न हो।"।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 15 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 15 में, विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (क)

में, अभिव्यक्ति "धारा 30 के अधीन" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 के विद्यमान उपबंध के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"21. शेयर धारण करने पर निर्बन्धन.- किसी सहकारी सोसाइटी में कोई व्यष्टिक सदस्य इतने शेयर, जो सोसाइटी की उपविधियों में विहित किये जायें, या सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम पांचवें भाग तक, जो भी कम हो, धारण करेगा:

परन्तु किसी अरबन को-आपरेटिव बैंक का कोई व्यष्टिक सदस्य इतने शेयर, जो सोसाइटी की उपविधियों में विहित किये जायें, या सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम बीसवें भाग तक, जो कोई भी कम हो, धारण करेगा।"।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 27 में,-

(i) उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इक्कीस" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोलह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान अंतिम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी की समिति में एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:";

(iii) उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इक्कीस" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोलह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "की सहावसानी होगी:" के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व,

निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा, यदि वह ऐसी समिति के लिए निर्वाचित होने के लिए मूल पात्रता, जैसीकि नियमों में विहित की जाये, खो देता है:";

(v) उप-धारा (4) में इस प्रकार अन्त:स्थापित किये गये नये परन्तुक के पश्चात्, विद्यमान प्रथम और द्वितीय परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को सहयोजन द्वारा, विहित रीति से, उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम है:

परन्तु यह भी कि यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा:";

(vi) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "का हकदार होगा:" के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां धारा 29 के अधीन किसी सोसाइटी की समिति में नामनिर्देशित कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य, जो धारा 29 के अधीन समिति का नामनिर्देशित सदस्य है, का भी प्रभार धारित किये हुए है, वहां वह अपनी और ऐसे अन्य सदस्य की हैसियत से मतदान करने का हकदार होगा:";

(vii) उप-धारा (5) के विद्यमान प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(viii) उप-धारा (5) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य, समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प से विसम्मति रखता हो, वहां ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सदस्य ऐसी विसम्मति के बारे में सूचना, अधिमानत: उसी दिन किन्तु किसी भी दशा में ऐसे संकल्प की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को देगा।"।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

(i) उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु समिति की अवधि की समाप्ति के कारण धारा 30-ग के अधीन या गणपूर्ति के अभाव के कारण समिति के कृत्यों में गतिरोध के आधार पर धारा 30 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जिस समिति के स्थान पर प्रशासक रखा गया है, उस समिति का कोई सदस्य इस उप-धारा के अधीन निरर्हित नहीं समझा जायेगा।";

(ii) मूल अधिनियम की विद्यमान उप-धारा (7) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (8) के पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (7-क) अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(7-क) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है,

जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है:

परन्तु समिति के लिए एक बार निर्वाचित या सहयोजित समिति के सदस्य को इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए उसका पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हुआ समझा जायेगा, यहां तक कि यदि उसे पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित या सहयोजित नहीं किया गया था या अपने पद का कार्यकाल, चाहे किसी भी कारण से, पूरा नहीं किया है।";

(iii) विद्यमान उप-धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(9) कोई भी व्यक्ति एक साथ समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संसद का कोई सदस्य या राज्य विधान-मण्डल का कोई सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले से ही संसद का कोई सदस्य या राज्य विधान-मण्डल का कोई सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संसद या राज्य विधान-मण्डल में अपनी सदस्यता से, या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या

पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिक निकाय में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, संसद के किसी सदस्य या राज्य विधान-मण्डल के किसी सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संसद या राज्य विधान-मण्डल का सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, यथास्थिति, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि उसने संसद या राज्य विधान-मण्डल की अपनी सदस्यता से, या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिक निकाय में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे दिया हो।";

(iv) विद्यमान उप-धारा (11) और (12) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(11) समिति का कोई भी सदस्य, जो-

(i) अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना या सहायता उपलब्ध कराने में; या

(ii) सोसाइटी के कार्यकलापों की किसी जांच के लिए धारा 55 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा

नियुक्त जांच अधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने या उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने में; या

(iii) इस अधिनियम में या नियमों में इस हेतु नियत समय के भीतर-भीतर लेखा परीक्षक(कों) को नियुक्त करने और इसकी लेखा परीक्षा कराने में,

असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने या ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(12) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो नियमों में विहित की जाये, यदि कोई हो, प्राप्त नहीं कर लेता है।

(13) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि क्या समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा:

परन्तु किसी सोसाइटी की समिति के लिए निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की ऐसी निरर्हता का प्रश्न निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसके नामांकन कागजपत्रों की संवीक्षा के दौरान विनिश्चित किया जायेगा।"।

9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 29-क और 29-ख का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 29 के पश्चात् और विद्यमान धारा 30 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 29-क और 29-ख अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**29-क. सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी.-** (1) इस अधिनियम में कहीं भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार सोसाइटियों के सुचारू कार्यकरण और उनके कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के हित में किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य निदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, सम्पूर्ण राज्य या उसके भाग में की सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सामान्य संवर्ग का गठन कर सकेगा और ऐसे संवर्ग के अधीन आने वाले कर्मचारियों की भर्ती, मानदेय, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त भी तैयार कर सकेगा।

29-ख. सहकारी सोसाइटी के लिए भर्ती बोर्ड का गठन.- (1) राज्य की सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों के चयन और भर्ती की सिफारिश के लिए, जैसाकि नियमों में विहित किया जाये, एक सहकारी भर्ती बोर्ड होगा, जिसे इस धारा में आगे बोर्ड कहा गया है।

(2) बोर्ड, अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इसका गठन सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) बोर्ड को, संबंधित सहकारी सोसाइटियों की अध्यपेक्षा और आवश्यकता को देखते हुए, चयन का मानदंड, प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के चयन की सूची बनाने के लिए मानदंड विनिश्चित करने की शक्ति होगी, जिसमें लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार संचालित करने या न करने और कैसे करनें का विनिश्चय सम्मिलित होगा।

(4) जहां बोर्ड लिखित परीक्षा संचालित करने का विनिश्चय करता है वहां वह उसे स्वयं या किसी उपयुक्त विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा वाली स्वतंत्र ऐजेंसी के माध्यम से संचालित करवा सकेगा।"।

10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30-ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**30-ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता.-** किसी लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित सामान्य शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात्:-

(क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर;

(ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधित मामले;

(ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र; और

(घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां।"।

11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सोसाइटी की साधारण बैठक में" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (1) में, अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेगें:" के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु ऐसी सोसाइटियों में जहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, वहां सोसाइटी

का सचिव और यदि कोई सचिव भी नहीं है तब सोसाइटी का अध्यक्ष, सोसाइटी के समस्त अभिलेख और सम्पत्ति का न्यासी समझा जायेगा:";

(iii) उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, समापक" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक" प्रतिस्थापित की जायेगी; और विद्यमान अभिव्यक्ति "सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रशासक या समापक" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सचिव या अध्यक्ष या समापक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. **2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 33 का संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 33 में, विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो नियमों में विहित की जायें, सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, प्राधिकारी में निहित होगा:

परन्तु अन्य सोसाइटियों में निर्वाचन, नियमों में इसके लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, सोसाइटी की साधारण सभा की बैठक में करवाये जायेंगे।"।

13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटियों से ऐसी सूचना मंगवा सकेगा जो वह निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से निर्वाचन संचालित करवाने के लिए, आवश्यक पाये।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकारी द्वारा चाही गयी समस्त सूचना समय पर और विहित रीति से उपलब्ध करवायेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति में आकस्मिक रिक्ति के बारे में प्राधिकारी को एक लिखित सूचना भी भेजेगा जिसके लिए प्राधिकारी, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन संचालित करवायेगा।"; और

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-धारा (1) के पश्चात्, विद्यमान उप-धाराओं (2), (3) और (4) को क्रमश: (4), (5) और (6) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा।

14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**36. निर्वाचन व्यय.-** किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय संबंधित सोसाइटी या उस सोसाइटी, जिससे ऐसी सोसाइटी संबद्ध है, द्वारा वहन किये जायेंगे।"।

15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 40 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 40 में,-

(i) उप-धारा (3) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां भूमि, सरकार या किसी नगरपालिक या किसी अन्य स्थानीय निकाय या सरकार के किसी भी अन्य संगठन द्वारा आबंटित की जाती है या पट्टे पर या किराये पर दी जाती है, वहां ऐसी भूमि संबंधित को वापस अभ्यर्पित हो जायेगी जहां सोसाइटी ने भूमि का ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसे मूल रूप से आबंटित किया गया था या पट्टे पर या किराये पर दिया गया था, उपयोग में लेना बन्द कर दिया है।"।

16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी की समिति द्वारा उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगी:

परन्तु जहां सोसाइटी की समिति किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति उसके लिए नियत समय में करने में विफल रहती है वहां रजिस्ट्रार, उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से, सोसाइटी की लेखापरीक्षा के लिए, किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कोई भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए

सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए, नियुक्त नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रार, किसी आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लेखाओं की किसी विशिष्ट कालावधि के लिए लेखापरीक्षा करवाने के लिए लेखापरीक्षक(कों) या लेखापरीक्षा फर्म(मों) की नियुक्ति कर सकेगा, जो सोसाइटी या, यथास्थिति, सोसाइटियों के वर्ग पर बाध्यकारी होगा।";

(ii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (2)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) वह राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो, जो निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो; और";

(iv) उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु उप-धारा (5) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षकों और उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक(कों) की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।";

(v) विद्यमान उप-धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(10) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखापरीक्षा

रिपोर्ट सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को भी प्रस्तुत करेगी।";

(vi) विद्यमान उप-धारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(12) यदि रजिस्ट्रार की जानकारी में यह बात आती है कि प्रथमदृष्टया, किसी सोसाइटी में कोई वित्तीय अनियमितता हुयी है तो रजिस्ट्रार, ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी अनियमितता होने का विश्वास है, विशेष लेखापरीक्षा करवा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा नियत समय के भीतर-भीतर करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा।"; और

(vii) उप-धारा (13) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुमोदन के पश्चात्," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उसकी अनुपालना रिपोर्ट" के पूर्व, अभिव्यक्ति "विहित रीति से," अन्त:स्थापित की जायेगी।

17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 55-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के पश्चात् और विद्यमान धारा 56 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 55-क अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**55-क. रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण.-** (1) रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से, स्वयं के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लिखित आदेश से, किसी सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, या उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) सोसाइटी से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसकी अबाध पहुंच होगी और ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य संपत्तियों के कब्जाधारी या उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को, ऐसे स्थान और समय पर, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निदेशित किया जाये, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा; और

(ख) वह, ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसको विश्वास है कि वह सोसाइटी के किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में जानकारी रखता है, किसी भी स्थान पर उसके समक्ष हाजिर होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा।

(3) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य और कर्मचारी, जिनकी पुस्तकें इस धारा के अधीन निरीक्षित की जायें सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में उनके कब्जे में की ऐसी सूचना देंगे, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।

(4) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी या सोसाइटी के किसी अधिकारी या उसके वित्तपोषण बैंक या किसी भी अन्य संगठन को ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो इसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रकट की गयी कोई त्रुटि, यदि कोई हो, के उपचार के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट हो, निदेश दे सकेगा।"।

18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 56 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 56 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो ऐसे बैंक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "की सिफारिश पर" के पूर्व आयी अभिव्यक्ति "की समिति" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "के मुख्य कार्यपालक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 61 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 61 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आवेदन प्राप्त होने पर," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार की जानकारी" के पूर्व, अभिव्यक्ति "या अन्यथा," अन्त:स्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बन्द कर दिया है" के पश्चात् और विराम चिह्न "," के पूर्व, अभिव्यक्ति "या अधिनियम या नियमों या इसकी उपविधियों के उपबंधों का बार-बार अतिक्रमण करता रहा है" अन्त:स्थापित की जायेगी।

20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 64 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ट) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर, विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ट) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ठ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, सोसाइटी के ऐसे दावों को, जो समस्त संभव प्रयासों के पश्चात् दावे अमोचनीय पाये जाते हैं, अपलिखित करना;

(ड) सोसाइटी के विरुद्ध किसी दावे को पूर्णत: या भागत: 'संदेय नहीं' के रूप में घोषित करना,

जहां ऐसे दावों के संदाय के लिए सोसाइटी के पास मोचनीय स्रोत नहीं हैं;

(ढ) सरकार को, ऐसी रीति से जैसाकि विहित किया जाये, किसी स्थावर संपत्ति का अभ्यर्पण और अंतरण करना जहां रजिस्ट्रार की राय में ऐसा किया जाना व्यापक लोकहित में हो;

(ण) किसी स्थावर संपत्ति जैसे सामुदायिक केन्द्र को, जो उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा उनके सामान्य कल्याण और सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, सरकार की विशेष अनुज्ञा से ऐसे निवासियों की किसी सोसाइटी को, जो इसकी उपविधियों में किन्हीं भी अन्य उद्देश्यों के बिना ऐसे निवासियों के सामान्य हित में अनन्य रूप से गठित की गयी है, इस आशय से न्यस्त करना:

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि निवासियों की सोसाइटी को सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए न्यस्त की गयी संपत्ति, ऐसे सामुदायिक क्रियाकलापों जिनके लिए इसे सोसाइटी को न्यस्त किया गया था, से भिन्न किसी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में ली जा रही है, तो ऐसी संपत्ति सरकार को वापस प्रतिवर्तित हो जायेगी:"; और

(iii) विद्यमान परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (10) में,-

(i) खण्ड (ङ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 102" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 101" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (छ) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(छ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 125 के अधीन पारित किसी विनिश्चय से,"।

22. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 107 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार या सरकार इस उप-धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं करेगा/करेगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन, कोई अपील रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, सरकार को होती है।"।

23. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 109 का **संशोधन.**- मूल अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) खण्ड (ङ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) खण्ड (च) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vii) खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) खण्ड (ज) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ix) खण्ड (झ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) खण्ड (ञ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xi) खण्ड (ट) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xii) खण्ड (ठ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiii) खण्ड (ड) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xiv) खण्ड (ढ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xv) खण्ड (ण) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xvi) खण्ड (त) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xvii) खण्ड (थ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xviii) खण्ड (द) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xix) खण्ड (ध) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

24. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 123 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (ix) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (x) के पूर्व, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ix-क) सोसाइटी के किसी वर्ग के लिए सामान्य संवर्ग का, इसके लागू होने और गवर्नेन्स के नियमों को सम्मिलित करते हुए बनाया जाना;"।

25. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 125 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 125 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**125. कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.-** यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके अधिकांश सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या इस अधिनियम, नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विरुद्ध है या अन्यथा सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, सोसाइटी

को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, संकल्प को विखंडित कर सकेगा।"।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, April 26, 2016

No. F. 2 (13) Vidhi/2/2016.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Sahakari Society (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (2016 Ka Adhiniyam Shankhyank 11) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2016

(Act No. 11 of 2016)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of April, 2016]

An

Act

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act,

2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (d), the following shall be substituted, namely :-

"(d) "central society" means a society whose area of operation is confined to a part of the State and which has in its main objects the promotion of the core objects of, and the provision of facilities for the operations of, other societies affiliated to it; and at least five members of which are societies themselves:"; and

(ii) for the existing clause (r), the following shall be substituted, namely :-

"(r) "primary society" means a society which is neither an apex society nor a central society and which is constituted primarily by individuals as members;".

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 10 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (1), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that no society shall pass any such amendment in its bye-laws, which is not in consonance with the bye-laws of the class or sub-class of societies under which the society was originally registered.".

4. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 15 of the principal Act, the existing sub-section (4) shall be deleted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (a) of sub-section (2) of section 20 of the principal Act, for the expression "under section 30", the expression "under this Act" shall be substituted.

6. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-For the existing provision of section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**21. Restriction on holding of shares.-** An individual member in a co-operative society shall hold

such number of shares as may be prescribed in the bye-laws of the society, or to a maximum of the one-fifth of the total share capital of the society, whichever is less:

Provided that an individual member of an Urban Co-operative Bank shall hold such number of shares as may be prescribed in the bye-laws of the society, or to a maximum of the one twentieth of the total share capital of the society, whichever is less.".

7. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 27 of the principal Act,-

(i) in the first proviso to sub-section (2), for the existing expression "twenty one", the expression "sixteen" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), after the existing second proviso and before the existing last proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that no person shall be allowed to contest elections for more than one seat in the committee of a society:";

(iii) in first proviso to sub-section (3), for the existing expression "twenty one", the expression "sixteen" shall be substituted;

(iv) in sub-section (4), after the existing expression "the term of the committee:" and before the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that no person shall continue as a member of the committee, if he loses the basic eligibility as may be prescribed in rules for getting elected to such committee:";

(v) after the new proviso so inserted to sub-section (4), for the existing first and second provisos, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that the committee may fill a casual vacancy on the committee by co-option in the manner prescribed, out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the committee is less than half of its original term:

Provided also that if a causal vacancy among the elected members of the committee has

arisen and the term of office of the committee is more than half of its original term, such vacancy shall be filled up by election, and the member so elected, shall hold the office for the remainder of the term:";

(vi) in sub-section (5), after the existing expression "cast one vote:" and before the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where a member nominated under section 29 on the committee of a society is also holding charge of another member who is also a nominated member of the committee under section 29, shall be entitled to vote in his capacity as such other member also:";

(vii) in the existing first proviso to sub-section (5), for the existing expression "Provided that", the expression "Provided further that" shall be substituted; and

(viii) for the existing second proviso to sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

"Provided also that where the Chief Executive Officer or a member nominated by the Government has any dissent with the resolution passed by the committee, such Chief Executive Officer or the member shall inform the Registrar about such dissent preferably on the same day but in any case within fifteen days from the date of such resolution.".

8. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 28 of the principal Act,-

(i) for the existing proviso to sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-

"Provided that a member of the committee replaced by an Administrator under section 30-C due to expiry of the term of the committee or under clause (b) of sub-section (1) of section 30 on the ground of a stalemate in functions of the committee due to lack of quorum shall not be deemed disqualified under this sub-section.";

(ii) after the existing sub-section (7) and before the existing sub-section (8) of the principal Act, the following new sub-section (7-A) shall be inserted, namely:-

"(7-A) No person shall be eligible for election as a member of a committee, if he has been elected or co-opted to be a member of the committee of the same society in continuation for two times, unless a period of five years from the date of expiry of his second term as the member of such committee has elapsed:

Provided that a member of a committee once elected or co-opted to the committee shall be deemed to have completed his full term for the purpose of this sub-section, even if he was not elected or co-opted for a full term of five years or has not completed his term of office for any reason whatsoever it may be.";

(iii) for the existing sub-section (9), the following shall be substituted, namely :-

"(9) No person shall remain both a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee and a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body and, if already a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson or Vice-Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson or Vice-Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns from his membership of the Parliament or the State Legislature or the office he

holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti or the Gram Panchayat or the municipal body as the case may be:

Provided that a person who is already a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee is elected as a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Parliament or the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson or Vice-Chairperson of the committee unless he has previously resigned from his membership of the Parliament or the State Legislative Assembly or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti or the Gram Panchayat or the municipal body, as the case may be.";

(iv) for the existing sub-sections (11) and (12), the following shall be substituted, namely :-

"(11) No member of a committee, which has failed to-

(i) provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V; or

(ii) make available or arrange to make available necessary record to the enquiry officer appointed by the Registrar under section 55 for conduct of an enquiry of the affairs of the society; or

(iii) appoint auditor(s) and get its audit conducted within the time stipulated therefor in this Act or the rules,

shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee, or for continuing as such member for a period of six years from the date of such failure.

(12) No person shall be eligible for being elected as a member of the committee of a society unless he possesses such minimum educational qualification as may be prescribed in the rules, if any.

(13) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules or the bye-laws registered under this Act shall be decided by the Registrar:

Provided that the question of such disqualification of a candidate contesting elections to the committee of a society shall be decided by the Election Officer during scrutiny of his nomination papers.".

9. Insertion of a new sections 29-A and 29-B, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 29 and before the existing section 30 of the principal Act, the following new sections 29-A and 29-B shall be inserted, namely:-

"**29-A. Officers and employees of co-operative societies.-** (1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Registrar may issue general directions regarding the service conditions of the employees of a society or a class of societies in the interest of smooth functioning of societies and the general welfare of their employees.

(2) The Registrar may also form a common cadre for the employees of a class of societies in whole or in part of the State and frame such guidelines regarding recruitment, remuneration, transfer, deputation, disciplinary action and other matters relating to the service conditions of the employees covered under such cadre.

29-B. Constitution of Recruitment Board for the co-operative societies.- (1) There shall be a Co-operative Recruitment Board, hereinafter called the Board in this